न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 95 / 2024 (GCMS : 2024/95)

हरपाल सिंह पुत्र श्री राजसलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 7 ई ई ए तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **मोहन सिंह** पुत्र मखन सिंह जाति जटसिख निवासी 11 ओ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर**
3. **राजसलविन्द्र सिंह** पुत्र सरवन सिंह जाति जटसिख निवासी 11 ओ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
4. **बलवीर कौर** पत्नी प्रगट सिंह जाति जटसिख निवासी 11 ओ ढाणी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.11.2024

पत्रावली पेश हुई। **प्रार्थी के अधिवक्ता** श्री ओम प्रकाश बतरा एवं अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री अशोक कुमार उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी संख्या 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के नाम चक 11 ओ बी तहसील श्रीकरणपुर खाता संख्या 12, के मु.नं. 13 के किला नम्बर 1 ता 25 कुल 25 बीघा रकबा प्रार्थीयान का मुश्तरका खाता है। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीयान को खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है इसलिए चक 12 ओ बी मु.नं. 16 के किला नम्बर [illegible] के दक्षिण पश्चिम कोने में 16 इन्टू 16 वर्गफुट के रास्ते के लिए रास्ता मंजूर किया जावे ताकि प्रार्थीयान अपने खेत में जा सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:41 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि दिनांक 24.06.2024 को प्रार्थीयान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुए तब अधीनस्थ न्यायालय का रवैया प्रार्थीयान के खिलाफ था तथा उसी रोज प्रार्थीयान के अधिवक्ता को कहा कि आज ही बहस करो वरना दावा आज ही खारिज करता हूँ तो प्रार्थीयान के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि तारीख पेशी 04.07.2024 रखी गई है, उसी रोज ही बहस की जाएगी लेकिन अदालत द्वारा जानबूझ कर तारीख पेशी 28.06.2024 कर दी गई।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीयान तारीख पेशी पर निकलने के बाद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने वकील को यह कहा कि मैने सिफारिश लगा दी है तथा वह फैसला अपने हक में कर देगा बहस कर दो तथा गांव में भी प्रार्थीयान को पता चला कि उपखण्ड अधिकारी करनपुर राजनैतिक प्रभाव में है, इसलिए अब प्रार्थीयान को उपखण्ड अधिकारी, करनपुर पर विश्वास नहीं है कि वह सही निर्णय करेगा तथा ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्थगन आदेश को खारिज करके रास्ते की जगह पर निर्माण करवा देगा जिससे प्रार्थीयान रास्ते से वंचित हो जायेगे, इसलिए प्रार्थीयान को उपखण्ड अधिकारी, करनपुर से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण ने अधनीस्थ न्यायालय का मुकद्दमा अनवानी हरपाल सिंह वगै. बनाम मोहन सिंह मुकद्दमा नम्बर 11 / 2024 व स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का मुकद्दमा नम्बर 53 / 2024 को अन्य सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रार्थी द्वारा लगाये गए आरोपों का खण्डन करते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी [illegible] उनकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और न ही उनके द्वारा किसी राजनैतिक [illegible] सिफारिश करवाई गई है। प्रार्थी द्वारा लगाए गए आरोप [illegible] प्रकृति के है, जो मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं है केवल मात्र विलम्ब करने के लिए यह प्रार्थना पेश किया है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:41 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर ने दिनांक 02.07.2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अंकित किया है कि बिन्दु संख्या 1 में अंकित तथ्य प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय में प्रस्तुत किया जना स्वीकार किया है एवं शेष तथ्य मनगढ़ंत एवं झूठे, लाईलमी, तथा कानूनी अंकित किये है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी ने प्रकरण संख्या 53/2024 अनवान् हरपाल सिंह बनाम मोहन सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का निर्णय हो चुका बताया है और प्रकरण संख्या 11/2024 अन्तर्गत धारा 251 आरटीए को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

मैनें, दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर के न्यायालय में प्रकरण संख्या 53/2024 अनवान हरपाल सिंह बनाम मोहन सिंह आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में निर्णय हो चुका है और प्रकरण संख्या 11/2024 अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए लम्बित है को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। **इस मामले में इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित मामले के गुणदोष पर विचार नहीं करना है केवल मात्र इस बात पर विचार करना है कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी से निष्पक्ष न्याय मिलने की संभावना है अथवा नही?** प्रार्थी ने मुंतकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक प्रभाव होने के आरोप लगाए है, जिसका पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 02.07.2024 में खण्डन किया है अगर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो पीठासीन अधिकारी को कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

चूंकि प्रार्थी द्वारा राजनैतिक प्रभाव सम्बन्धी लगाए गए आरोप साधारण प्रकृति के है और ऐसे आरोप कभी भी, किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। मुकद्दमा मुंतकिली के लिए कोई ठोस आधार होना आवश्यक है, जिससे प्रथम दृष्टया ज्ञात

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:41 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

हो कि अगर प्रकरण को मुंतकिल नहीं किया गया तो प्रार्थी को निष्पक्ष रूप से न्यायनहीं मिलेगा। चूंकि मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार नहीं है, इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज **किया जाता हैं।** उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरणपुर को आदेशित किया जाता है कि आप स्वयं विवादित स्थल शीघ मौका निरीक्षण कर, 03 सप्ताह में निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें। **न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करें तथा इस सिद्वान्त को कि 'केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए, परन्तु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए''** को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, करणपुर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.12.06 16:45:41 IST
Reason: SelfAttested